न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ओ.पी.बिश्नोई, आर.ए.एस.

अपील संख्या 61/2024 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2024/61)

श्री सतपाल सिह गोदारा पुत्र स्व. श्री राजाराम गोदारा जाति गोदारा निवासी वार्ड नं. 18 पुराना भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भादरा जिला हनुमानगढ।
2. श्रीमती इंदिरा बेनीवाल पुत्री स्व. श्री राजाराम गोदरा पत्नी श्री सी.एस. बेनीवाल निवासी ई 42 गोकुल वाटिका जवाहर सर्कल, जयपुर 302018।
3. श्रीमती सुलोचना देवी पत्नी स्व. श्री राजाराम गोदारा जाति गोदारा निवासी वार्ड नं. 18 पुराना भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
4. श्री जगतपाल सिह पुत्र स्व. श्री राजाराम गोदारा जाति गोदारा निवासी वार्ड नं. 18 पुराना भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
5. श्री वेदपाल सिह पुत्र स्व.श्री राजाराम गोदारा जाति गोदारा निवासी वार्ड नं. 18 पुराना भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः

1. श्री जगदीश शर्मा – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री मदन सुरोलिया – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 2
3. श्री कौशल आचार्य – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 3 ता 5
4. श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 12.08.2024**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर के प्रकरण संख्या 13/2023 निर्णय दिनांक 06.03.2024 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट इंदिरा बेनीवाल ने अपर जिला कलक्टर नोहर में तहसीलदार भादरा के निर्णय दिनांक 30.03.2017 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निर्णय दिनांक 30.03.2017 एवं उसकी पालना मे दर्ज इन्तकाल को निरस्त किया जाकर निर्णय से पूर्व की राजस्व अभिलेख की स्थिति बहाल किये जाने का आदेश देने का निवेदन किया। जिस पर अति. जिला कलक्टर नोहर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 06.03.2024 द्वारा अपील स्वीकार कर तहसीलदार भादरा का निर्णय दिनांक 30.03.2017 को अपास्त कर तहसीलदार

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

भादरा को रिमाण्ड कर वारिसान की पूर्ण जानकारी एवं सभी वारिसान को सुनवाई का अवसर प्रदान कर निस्तारण करने का निर्देश दिया। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट सतपाल सिह गोदारा द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ता 5 के अभिभाषक बहस के दौरान अनुपस्थित रहे।

4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के पति व पिता राजाराम गोदारा के नाम चक 4 बी.एच.डी. के खाता सं. 68/70 के मुरब्बा नं. 45, 46, 50, 51, 52 में कुल 2.4560 हैक्टर व इसी चक खाता सं. 67/69 में मुरब्बा नं. 1, 2, 22 मे कुल 9.1080 हैक्टर सयुक्त खाता मे 540 हि. यानी 6.831 है. कृषि भूमि एवं चक 6 बी.एच.डी. के खाता सं. 92/84 के मुरब्बा नं. 17, 27 की कुल 4.5540 है. भूमि इस प्रकार तीनो खातो को मिलाकर कुल 13.841 है. भूमि थी। स्व. राजाराम गोदारा ने तीनो खातो कि भूमि की वसीयत अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 4 व 5 के पक्ष में दिनांक 06.07.2015 को कर दी थी। राजाराम गोदारा के देहान्त के बाद उक्त भूमि का इंतकाल वसीयत के आधार पर दर्ज करवाने का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर बाद जांच उक्त भूमि का इंतकाल वसीयत के अनुसार दिनांक 30.02.2017 को दर्ज कर दिया। स्व. राजाराम गोदारा एक प्रतिष्ठित अधिवक्ता थे उन्होने अपनी स्वअर्जित सम्पति की वसीयत नियमानुसार व विधि अनुसार पूरे होश हवाश में की थी। रेस्पोडेन्ट सं. 2 को वसीयत के प्रति कोई ऐतराज था तो वह सक्षम सिविल न्यायालय में वसीयत निरस्त करवाने की कार्यवाही करते । इस बिन्दु पर गौर न कर अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय दिया है व निरस्त योग्य है। मातहत अदालत को वसीयत सही है या गलत इसका निर्णय करने अथवा विवेचन करने का कानूनी अधिकार नही है। साथ ही रेस्पोडेन्ट सं. 2 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जो अपील प्रस्तुत की गई वह मियाद बाहर थी। तहसीलदार के निर्णय दिनांक 30.03.2017 के विरूद्व दिनांक 21.06.2023 को अपील प्रस्तुत

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

की गई. धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब का कारण एक–एक दिन का लिखना होता है जो नही लिखा गया है। रेस्पोडेन्ट वसीयत फर्जी होने का कथन कर है अगर फर्जी थी तो इसकी FIR क्यो नही करवाई गई। मातहत अदालत ने दिनांक 06.03.2024 को जो निर्णय दिया है व बिना माइण्ड उपयोग किये तथा दबाव मे आकर निर्णय दिया है, क्योकि रेस्पोडेन्ट सं. 2 के पति सेवानिवृत आर.ए.एस. अधिकारी है तथा उनका पुत्र भी आर.ए.एस. अधिकारी है। तहसीलदार भादरा का आदेश विधिसम्मत है। अतः अपील स्वीकार की जाकर मातहत अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर का निर्णय दिनांक 06.03.2024 को निरस्त किया जाकर राजस्व तहसीलदार भादरा का आदेश दिनांक 30.03.2017 बहाल किया जावे।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि उक्त वसीयत पर लाभार्थी (Beneficiary) के हस्ताक्षर है। रेस्पोडेन्ट सं. 2 को जब जानकारी हुई तब तहसीलदार भादरा के आदेश दिनांक 30.03.2017 के विरूद्व अपील पेश की तथा जानकारी से धारा 5 का प्रार्थना पत्र भी पेश किया। तहसीलदार भादरा ने सभी पक्षो को सुनकर निर्णय पारित करने का आदेश दिया है जो सही है इसमें अपीलान्ट को क्या आपत्ति है। वारिसान प्रमाण पत्र मे मेरा नाम है मुझे नोटिस तक नही दिया गया और न ही सुना गया। अखबार मे जो नोटिस साया करवाया गया वो गंगानगर के अखबार मे करवाया गया है जबकि रेस्पोडेन्ट सं. 2 जयपुर में निवास करती है यह सब अपीलान्ट को पता है। उक्त प्रकरण मे दो वसीयत की गई तथा दोनो वसीयतो को अंतिम वसीयत बताया गया है। राजाराम गोदारा की अंतिम समय पर मानसिक स्थिति नही थी वे वसीयत करने लाईक नही थें। स्वस्थ चित से वसीयत दायर नही की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.03.2024 सही है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे। रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन मे RRD 2001 पृष्ठ 415, RBJ (16) 2009 पृष्ठ 312, Apex court Judgments 2021 (3) पृष्ठ 173, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ विश्लेषण किया। पत्रावली व दस्तावेजात के अवलोकन से पाया कि नगरपालिका भादरा से जारी श्री राजाराम पुत्र श्यालूराम के जायज सदस्य सूचि अनुसार श्रीमती सुलोचना देवी (पत्नि) जगतपाल सिंह (पुत्र) सतपाल सिह (पुत्र) वेदपाल सिह (पुत्र) व इन्द्रा (पुत्री) शामिल है। तहसीलदार (भू.अ.) भादरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.03.2017 में श्रीमती सुलोचना (पत्नि) व इन्द्रा (पुत्री) की सुनवाई व बयानात संबधी तथ्य पत्रावली पर नही है। चूंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का निवास जयपुर मे है, जयपुर मे नोटिस/सूचना तामिली का प्रमाण नही पाया गया है। अखबार में सूचना का प्रकाशन स्थानीय हनुमागनढ/श्रीगंगानगर संस्करण में करवाया जाना परिलक्षित हुआ है। न्यायालय तहसीलदार द्वारा समस्त हितबद्व पक्षकारान की विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना प्रतिवेदित नही हुआ है। उक्तानुसार न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) भादरा द्वारा नैसृगिक न्याय के सिद्धान्तो की पूर्व पालना का अभाव रहा है। उक्त तथ्यो व विवेचन के मध्यनजर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.03.2024 में हस्तक्षेप की गुजांईश प्रतीत नही होती है। लिहाजा अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.03.2024 को यथावत रखा जाता है। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 12.08.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर